न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
विविध वाद संख्या–95/2015
अनामिका महासेठ बनाम जिला प्रबंधक बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
06/01/2016	**आदेश** विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आवेदिका अनामिका महासेठ प्रोपराईटर मेसर्स मोहित इन्डट्रीज, पण्डासराय, दरभंगा की ओर से आवेदक एवं जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा के साथ निष्पादित एकरारनामा की 16 में उधृत तथ्यों के आलोक में दायर किया गया है। आवेदिका के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आवेदन में वर्णित बिन्दु पर विपक्षी से मध्यस्थता के तहत विवाद का निपटारा हेतु अनुरोध करते हैं। विपक्षी के विद्वान् का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा दाखिल वाद आवेदन दिनांक–18.05.2015 को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। जिसे विविध वाद अंकित कर चलाया जा रहा है। विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि मध्यस्थता के तहत आवेदन पर मूलतः दोनों पक्ष का हस्ताक्षर होना चाहिये जो नहीं है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा–03 में उल्लेखित है साथ ही मध्यस्थता अधिनियम की धारा–07 का भी उल्लेख किये जो एकरारनामा को इंगित करता है। उनका यह भी कथन है कि आवेदक पुलिस से बचने के लिए गलत ढ़ंग से मूल आवेदन लाया गया है, जो प्रतिग्रहित होन लायक नहीं है। उभय पक्ष को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित कंडिकावार प्रतिवेदन एवं तथ्यों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वाद विधि सम्मत दायर नहीं किया गया है, जिसे चलाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव प्रतिग्रहण के बिन्दु पर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा। समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा। ज्ञापांक 58 / जिला विधि, दिनांक 10-01-17 प्रतिलिपि :– विज्ञान प्रयोगशाला, प्रबन्धक, एन० आई० सी०, दरभंगा को सूचनार्थ तदनुसार आवश्यक प्रेषित।	प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि प्रशाखा दरभंगा। 09/01/17